


रक्षा मंत्रालय
संयुक्त सचिव एवं मुप्रअ का कार्यालय

विषय:- शैक्षिक रूप से योग्य बहु कार्य कर्मचारियों (एमटीएस) को वर्ष 2021 में नियमित आधार पर सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिकीय सेवा के कनिष्ठ सचिवालय सहायक पद पर नियुक्ति के लिए अनुमोदित पुनरावलोकित सह अनुपूरक चयन सूची।

शैक्षिक रूप से योग्य ऐसे बहु कार्य कर्मचारियों (एमटीएस) के नाम जिन्हें वर्ष 2021 में पुनरावलोकित सह अनुपूरक चयन सूची के आधार पर नियमित रूप से सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिकीय सेवा के कनिष्ठ सचिवालय सहायक संवर्ग में नियुक्ति हेतु अनुमोदित किया गया है, इस नोट के साथ परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

2. कनिष्ठ सचिवालय सहायक के रूप में इन कर्मचारियों का पदोन्नति आदेश अलग से जारी किया जा रहा है।


(आराधना संजय निकम)
प्रशा. अधि. मुप्रअ/ का-1(बी)
30 सितम्बर 2021

संबंधित सशस्त्र सेना मुख्यालय/ अंतर सेवा संगठनों के समन्वय अनुभाग
मुप्रअ कार्यालय के संबंधित प्रशासन अनुभाग

प्रतिलिपि:-

निदेशक (मा.सं.) के निजी सचिव

उप मुख्य प्रशासन अधिकारियों के वैयक्तिक सहायक

मुप्रअ/ वा.का.मूरि.क. (का-1)कक्ष

संबंधित कार्मिक

मुप्रअ/का-2

सूचना पट्ट

रक्षा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान

परिचालन फोल्डर

शैक्षिक रूप से योग्य बहु कार्य कर्मचारियों (एमटीएस) की नियमित आधार पर वर्ष 2021 में सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिकीय सेवा के कनिष्ठ सचिवालय सहायक पद पर नियुक्ति के लिए अनुमोदित पुनरावलोकित सह अनुपूरक चयन सूची।

मुख्य पैनल

क्रम संख्या	नाम(श्री)	जन्मतिथि	श्रेणी	वर्तमान कार्यालय
1	शांतनू मण्डल*	14-02-72	अ.जा.	बीसीएस, कोलकाता
2	त्रिलोकी	12-04-67	सामान्य	क्यू.एम.जी.
3	राज दीपक*	20-07-67	अ.जा.	डीएससी, कानपुर
4	सुदाम सिंह*	10-03-67	सामान्य	डी.जी.क्यू.ए.
5	राजेन्द्र कुमार*	23-05-66	अ.जा.	ए.जी.
6	रमेश पाण्डे	30-01-67	सामान्य	एम.जी.ओ.
7	अशोक कुमार	03-08-77	ओ.बी.सी.	मु.प्र.अ.
8	के सुब्रह्मण्यम	22-12-72	ओ.बी.सी.	मु.प्र.अ.
9	अशोक कुमार	23-07-76	अ.जा.	नौ.से.मु.

विस्तारित पैनल

क्रम संख्या	नाम(श्री)	जन्मतिथि	श्रेणी	वर्तमान कार्यालय
ई-1	रमेश चन्द्र दीक्षित	20-08-65	सामान्य	नौ.से.मु.
ई-2	विजेन्द्र कुमार	16-07-75	अ. जा.	एस एस सी बी
ई-3	आर एन शर्मा	10-01-62	सामान्य	डी आर डी ओ
ई-4	सहदेव सिंह	01-01-72	अ. जा.	जे सी बी

* श्री शांतनू मण्डल (क्रम सं. 1), श्री राज दीपक (क्रम सं. 3), श्री सुदाम सिंह (क्रम सं. 4) एवं श्री राजेन्द्र कुमार (क्रम सं. 5) ने पदोन्नति ग्रहण करने से अस्वीकार कर दिया है, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इसलिए, इन कर्मचारियों को उनके पदोन्नति अस्वीकार करने की तिथि से 1 वर्ष तक पदोन्नति नहीं दी जाएगी।

आ.दी.म.